न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 363/2012 **दायरा दिनांक : 18.12.2012**

उनवान

1– रंगलाल वल्द कंवर लाल, जाति मीणा, निवासी मिश्रोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

2– धन्नालाल वल्द कंवर लाल, जाति मीणा, निवासी मिश्रोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

3– मोहनलाल वल्द कंवर लाल, जाति मीणा, निवासी मिश्रोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

4– पाना बाई पुत्री कंवर लाल जोजे भूरालाल, जाति मीणा, निवासी मिश्रोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

5– धापू बाई पुत्री कंवर लाल जोजे मांगीलाल, जाति मीणा, निवासी मिश्रोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

6– काली बाई पुत्री कंवर लाल जोजे रामकल्याण, जाति मीणा, निवासी मिश्रोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

7– बादाम बाई पुत्री कंवर लाल जोजे फूलचन्द, जाति मीणा, निवासी सनखेड़ी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

8– बिलूबाई पुत्री कंवर लाल जोजे मोहनलाल, जाति मीणा, निवासी मैठून, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

9– भूली बाई बेवा कंवर लाल, जाति मीणा, निवासी मिश्रोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

10– रामनारायण वल्द केसरा, जाति मीणा, निवासी मिश्रोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

11– देवलाल वल्द गोपाल, जाति मीणा, निवासी मिश्रोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

12– बाबूलाल वल्द केसरा जाति मीणा, निवासी मिश्रोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

13– पन्नालाल वल्द मोतीलाल, जाति मीणा, निवासी मिश्रोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

14– प्रभूलाल वल्द मोतीलाल, जाति मीणा, निवासी मिश्रोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

15– दौलतराम वल्द रंगलाल, जाति मीणा, निवासी मिश्रोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

16– भूरलाल वल्द रंगलाल नाबालिग जर्ये वली एवं संरक्षक पिता रंगलाल वल्द कंवरलाल, जाति मीणा, निवासी मिश्रोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1– रामलाल वल्द रंगलाल, जाति मीणा, निवासी हनोती, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

2– नन्द किशोर उर्फ नन्दलाल वल्द गोपाल, जाति मीणा, निवासी मिश्रोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड नाबालिग जर्ये वलियां एवं संरक्षक माता शान्ति बाई बेवा गोपाल, जाति मीणा, निवासी मिश्रोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

3– शांतिबाई बेवा गोपाल, जाति मीणा, निवासी मिश्रोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

4– केसर बाई बेवा केसरा, जाति मीणा, निवासी मिश्रोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड (मृतक)

5– हीराबाई उर्फ गोराबाई बेवा मोती लाल, जाति मीणा, निवासी मिश्रोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड (मृतक)

6– दांखा बाई जोजे नामालूम पुत्र हीरा, जाति मीणा, निवासी सेमलखेड़ी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

7– मन्नी बाई जोजे नाम नामालूम पुत्र हीरा, जाति मीणा, निवासी पनवासा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

8– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

9– उप पंजीयन अधिकारी, तहसीलदार साहब, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री महेन्द्र जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री नीलमणि शुक्ला अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 04.06.2018

1 यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 63/2006 निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.2012 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

2 अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नम्बर 1 रामलाल ने अपीलांटगण एवं अन्य के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया ग्राम मिश्रोली, तहसील अकलेरा में नयी खतौनी संख्या 62 की आराजी खसरा नम्बर 386 रकबा 11 बिस्वा,

खसरा नम्बर 452 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 453 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 576 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 578 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा कुल 5 किता की 15 बीघा 11 बिस्वा आराजी प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 तक मृतक केसरा प्रतिवादी नम्बर 14, 15, 16 के शामलाती खाते में है, जिसमें प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 का 1/6 हिस्सा है । वादी का 1/72 हिस्सा है । ग्राम मिश्रोली की नयी खतौनी संख्या 60 की खसरा नम्बर 577 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा आराजी प्रतिवादीगण 1 लगायत 9 एवं केसरा के शामलाती खाते में है । इसमें प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 का 1/2 हिस्सा एवं वादी का 1/24 हिस्सा है । पक्षकारान अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं । प्रतिवादी नम्बर 4 लगायत 9 का नाम गलत रूप से दर्ज कर रखा है । ग्राम रतनपुरा, तहसील अकलेरा में नयी खतौनी संख्या 70 की खसरा नम्बर 30 की 2 बीघा 6 बिस्वा आराजी प्रतिवादीगण 1 लगायत 9 के शामलाती खाते की है । अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के कारण प्रतिवादी नम्बर 4 लगायत 9 का नाम गलत दर्ज किया गया है । इस आराजी में प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/3 हिस्सा और वादी का 1/12 हिस्सा बनता है । ग्राम रतनपुरा के नयी खतौनी संख्या 68 की आराजी कुल 8 किता की 17 बीघा 13 बिस्वा है इसमें प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/12 हिस्सा और वादी का 1/48 हिस्सा बनता है । ग्राम रतनपुरा में नयी खतौनी संख्या 69 की आराजी खसरा नम्बर 33 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा आराजी में प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/6 हिस्सा है और इसमें वादी का 1/24 हिस्सा है । केसरा वल्द जीवन फौत हो चुका है । उनके वारिस प्रतिवादी नम्बर 10 लगायत 13 हैं । मृतक मोती की बेवा का नाम खाता संख्या 62 में हीरा बाई दर्ज है और खसरा नम्बर 68 में गौरी बाई दर्ज है । वादी और प्रतिवादी नम्बर 17, 18 के पिता प्रतिवादी नम्बर 1 है, प्रतिवादी नम्बर 18 नाबालिग है । उनके संरक्षक प्रतिवादी नम्बर 1 है । वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी को उनके पिता कंवर लाल से प्राप्त हुई है । इसमें वादी का जन्म से हित निहित है । अतः दावा वादी स्वीकार कर वादी का हिस्सा पृथक से

दर्ज किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 31.10.2012 को दावा वादी स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

3 अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि रेस्पोडेंट नम्बर 1 का अपने पिता के जीवनकाल में वादग्रस्त आराजी में कोई हक नहीं बनता है । निर्णय विधि विरूद्ध है । अपीलांट के और भी पुत्र पुत्रियां हैं । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है । रंगलाल की पुत्री सुगना बाई, ममता बाई को पक्षकार नहीं बनाया गया है । रेस्पोडेंट नम्बर 1 न तो खातेदार कृषक है और न ही उसका कब्जा है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

4 अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

5 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई । लिखित बहस में उनके द्वारा कथन किया गया कि पुत्र के द्वारा कभी भी कर्त्तव्यों की पालना नहीं की गई है । तनकी नम्बर 1 की विवेचना त्रुटिपूर्ण है । आराजी का भी बंटवारा नहीं हुआ है । राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है । रंगलाल की पुत्रियों को पक्षकार नहीं बनाया गया है । रामलाल अपनी मॉ के साथ अलग निवास करता है । रामलाल की मॉ अपने पिता के घर में रहती है । उसने पत्नी धर्म का पालना नहीं किया है । रंगलाल के जीवनकाल में रामलाल को किसी प्रकार से सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त नहीं है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

6 विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि रेस्पोडेंट प्रतिवादी नम्बर 1 के लड़के हैं । वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पत्ति है जिसमें पिता के जीवन काल में पुत्र को हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है । पक्षकारान अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, जिसमें पुरूष उत्तराधिकारी होने पर महिला को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

7 हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबंदी सम्वत 2057–60 एक्जीविट पी 1 सलंग्न है जिसमें वादग्रस्त आराजी कुल 5 किता की 15 बीघा 11 बिस्वा में धन्ना लाल, रंगलाल, मोहन लाल पिसरान कंवर लाल का 1/6 हिस्सा है । नकल जमाबंदी सम्वत 2057–60 एक्जीविट पी 2 के अनुसार खसरा नम्बर 557 की 2 बीघा 5 बिस्वा आराजी धन्ना लाल, रंगलाल, मोहन लाल पुत्र कंवर लाल एवं अन्य सहखातेदारों का नाम दर्ज है । नकल जमाबंदी सम्वत 2056–59 एक्जीविट पी 3 के अनुसार खसरा नम्बर 30 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा आराजी धन्ना लाल, रंगलाल, मोहन लाल एवं अन्य सहखातेदारों के नाम दर्ज है । नकल जमाबंदी सम्वत 2056–59 एक्जीविट पी 4 के अनुसार कुल 8 किता की 17 बीघा 8 बिस्वा आराजी धन्ना लाल, रंगलाल, मोहन लाल पिसरान कंवरिया एवं अन्य सहखातेदारों के नाम दर्ज है । नकल जमाबंदी एक्जीविट पी 5 के अनुसार खसरा नम्बर 33 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा धन्ना लाल, रंगलाल, मोहन लाल एवं अन्य सहखातेदारों के नाम दर्ज है । नकल जमाबंदी एक्जीविट पी 6 के अनुसार 5 किता की 15 बीघा 11 बिस्वा आराजी कंवर लाल, केसरा पिसरान जीवनलाल एवं अन्य सहखातेदारों के नाम दर्ज है । नकल जमाबंदी सम्वत 2049–52 एक्जीविट पी 7 के अनुसार खसरा नम्बर 557 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा आराजी धन्ना लाल, रंगलाल, मोहन लाल

एवं अन्य सहखातेदारों के नाम दर्ज है । नकल जमाबंदी सम्वत 2052–55 एक्जीविट पी 8 के अनुसार खसरा नम्बर 30 की 2 बीघा 6 बिस्वा आराजी धन्ना लाल, रंगलाल, मोहन लाल एवं अन्य सहखातेदारों के खाते में दर्ज है । नकल जमाबंदी सम्वत 2052–55 एक्जीविट पी 9 के अनुसार कुल 8 किता की 17 बीघा 10 बिस्वा आराजी धन्ना लाल, रंगलाल, मोहनलाल एवं अन्य सहखातेदारों के नाम दर्ज है । नकल जमाबंदी एक्जीविट पी 10 के अनुसार 3 बीघा 12 बिस्वा आराजी धन्ना लाल, रंगलाल, मोहन लाल एवं अन्य सहखातेदारों के नाम दर्ज है । इसके अलावा पत्रावली पर बयान वादी रामलाल पी डब्ल्यू 1 करवाये गये । बयान रंगलाल पी डब्ल्यू 2 करवाये गये हैं और प्रतिवादी की ओर से बयान कजोड़ी लाल कराये गये हैं । प्रतिवादी के बयानात में डी डब्ल्यू नम्बर अंकित नहीं किया गया है ।

8 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर सलंग्न नकल जमाबंदी एक्जीविट पी 1 लगायत पी 5 में सहखातेदार के रूप में धन्ना लाल, रंगलाल और मोहन लाल का नाम अंकित है । इन खातों के लिए कंवर लाल के खाते की जमाबंदी की नकल पेश नहीं की गई है । ऐसी स्थिति में एक्जीविट पी 1 से पी 5 में दर्ज आराजी को पैतृक नहीं माना जा सकता ।

9 दूसरा महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रकरण में कुल 11 तनकीयात कायम की है परन्तु प्रत्येक तनकी की पृथक से विवेचना नहीं की है । तनकी नम्बर 1 लगायत 5 को एक साथ निर्णित किया है । तनकी नम्बर 6 व 7, 8 व 9, 10 व 11 को भी साथ निर्णीत किया है जबकि प्रत्येक तनकी के पृथक से विवेचना किया जाना आवश्यक है । चूंकि एक्जीविट पी 1 से पी 5 जो राजस्व रेकार्ड पेश किया गया है उसमें वादग्रस्त आराजी पैतृक प्रमाणित नहीं होती है, ऐसी स्थिति में यह जांच किया जाना आवश्यक है कि

वादग्रस्त सम्पूर्ण आराजी पैतृक है अथवा नहीं । इसके उपरान्त ही विधि सम्मत निर्णय पारित किया जा सकता है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

10 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.2012 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पैरा संख्या 8 व 9 में किये गये विवेचन के अनुसार सर्वप्रथम यह जांच ले कि सम्पूर्ण विवादग्रस्त आराजी पैतृक है अथवा नहीं । इसके उपरान्त नये सिरे से प्रत्येक तनकी की विवेचना करते हुए विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 16.08.2018 को उपस्थित होवे ।

11 निर्णय आज दिनांक 04..06.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा